

*अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2017 (31.12.2017 की स्थिति में)

मध्य प्रदेश शासन
आवक क्रमांक 386
दिनांक 22/01/18
संसदीय कार्य विभाग

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो - राजेश गुप्ता (संसदीय कार्य विभाग) 2. पद - अपर सचिव
3. वर्तमान वेतन 37400+8700 ग्रेड पे 4. अगली वेतन वृद्धि की तारीख - 01.01.2019

उस जिले, उप संभाग, ताल्लुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें स्थित हो	गृह तथा अन्य भवन	भूमि	**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो, तो बताएं कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शास. कर्मचारी से क्या संबंध है?	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया? ***खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गयी हो।	सम्पत्ति से आय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
भोपाल	एम-60, संत आशाराम नगर बाग सेवनिया, भोपाल	-	रुपये 30,00,000/- (लगभग)	-	मे. आसनानी बिल्डर्स से दिनांक 18.1.06 को प्लॉट क्रय कर बालाजी कंस्ट्रक्शन से निर्माण कार्य कराया गया। अप्रैल, 2008 में आधिपत्य प्राप्त किया। (बैंक से ऋण एवं सा.भ.नि. से आंशिक अंतिम आहरण द्वारा)	रुपये 75,000/- (लगभग)	-

* जहाँ लागू न हो, काट दीजिए।

** ऐसे मामले में, जहाँ मूल्य सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

हस्ताक्षर



(राजेश गुप्ता)

अपर सचिव


संसदीय कार्य विभाग

मध्य प्रदेश शासन
आवक क्रमांक 425
दिनांक 24/01/18
संसदीय कार्य विभाग


फार्म

• प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2017

- (1) अधिकारी कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा सेवा का नाम जिसमें वह है महेन्द्र सोनूने, उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग
 (2) वर्तमान धारित पद उप सचिव
 (3) वर्तमान वेतन रुपये 1,01,200/- अगली वेतन वृद्धि की तारीख 1 जुलाई, 2018

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया—खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति की वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
भंडा, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश	आकृति बिल्डर से, हाईलेण्ड प्रोजेक्ट के तहत - डू-प्लेस भवन 600 स्क्वयर फीट बुक किया गया है। अधिपत्य प्राप्त नहीं हुआ।	-	12 लाख	स्वयं के नाम	पीएनबी हाउसिंग फायनेश कंपनी से 7.00 लाख ऋण लेकर डू-प्लेस, आकृति बिल्डर से क्रय किया गया है।	अभी अधिपत्य प्राप्त नहीं हुआ।	
अवनी स्कूबर, साईनाथ नगर, नियर महाबली नगर, कोला रोड, भोपाल।	श्री बीएचके प्लेट, साईनाथ नगर, कोलार रोड, भोपाल	-	27 लाख	स्वयं के नाम	एलआईसी हाउसिंग फाईनेश से 24 लाख ऋण प्राप्त कर प्लेट का अधिपत्य जनवरी, 17 में प्राप्त किया गया।		

दिनांक 24.1.2018


 (महेन्द्र सोनूने)
 उप सचिव,
 संसदीय कार्य विभाग

फार्म

• प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2017

- (1) अधिकारी कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा सेवा का नाम जिसमे वह हो बृजराजेश्वर शर्मा संसदीय कार्य विभाग।
(2) वर्तमान धारित पद अवर सचिव ।
(3) वर्तमान वेतन 75,700 अगली वेतन वृद्धि की तारीख 1 जुलाई 2018

उस जिले, उप संभाग का नाम, जिसमे सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		• वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या सम्बन्ध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
भोपाल	-	आवासीय भूमि	रुपये 8 लाख के लगभग	-	श्री प्रहलाद गोयल 18 श्यामला हिल्स भोपाल से कय की गई वर्ष 2005 मे।	-	-
गुना	-	आवासीय भूमि	रुपये 20 लाख के लगभग	-	पिता श्री पं भुवनेश्वर शर्मा निवासी गुना द्वारा प्रदाय की गई।	-	-

दिनांक 25/11/2018

भोपाल

हस्ताक्षर.....

नाम - बृजराजेश्वर शर्मा

पद - अवर सचिव

विभाग - संसदीय कार्य

फार्म

- *प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017
1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो रम के राजोरिया संसदीय कार्य राजपत्रित सेवा 2. वर्तमान धारित पद अवर सचिव
3. वर्तमान वेतन 71400/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01-07-2018

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		निरंक					



श्री दिग्वरदा
18/1/18

जहां लागू न हो काट दीजिए।

ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम-18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवाओं के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के प्रश्नात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्तियों के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर Ram K. Rajoria 18/1/18
नाम रम के राजोरिया
पद अवर सचिव
विभाग संसदीय कार्य विभाग

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो राविन्द्र महाडिक, पानू, साधु 2. वर्तमान धारित पद पानू प्रभाग अधिकारी
3. वर्तमान वेतन 62700/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-18

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
जिला - झापा संभाग - झापा	गृह		30000000/- रु	स्वयं	दि. 16-1-18 का राजवंद गृह निर्माण सहायता समिति, झापा संसदीय प्रभाग पर मकान बनाया वर्ष 2016 में।	निक	

राविन्द्र महाडिक
18-1-18

जहां लागू न हो काट दीजिए।
ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण)-नियम, 1959 के नियम-18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपभ्रंश पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर
नाम राविन्द्र महाडिक
पद पानू प्रभाग अधिकारी
विभाग म.प्र. शासन, संसदीय कार्य वि.



फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017 (31.12.2017 की स्थिति के)

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो कु. ध्याया लोन्गरे (संसदीय कार्य विभाग) 2. वर्तमान धारित पद निजी सचिव
3. वर्तमान वेतन रुपये 55,700/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01/07/2018

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

(Handwritten signature)

जहां शाह न हो काट दीजिए।

ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम-18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वाभित्य की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अर्जन द्वारा पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर Chhaya Longre 19/1/2018

नाम कु. ध्याया लोन्गरे

पद निजी सचिव

विभाग संसदीय कार्य विभाग, भोपाल


75

मध्य प्रदेश शासन
आवक नं० 2396.....
दिनांक 10/4/18.....
संसदीय कार्य विभाग

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अर्जित सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है **विष्णु कुमार जाधव** 2. वर्तमान धारित पद **सहायक जेड-1**
3. वर्तमान वेतन **45900/-** अगली वेतनवृद्धि की तारीख **0-07-2018**

इस जिले, उप तंत्रभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
वाराणसी, मोपाला	पत्रिका मकान/भवन	-	ज्ञात नहीं	पत्रिका भवन की भूदियों के माफ से आधा-आधा	पत्रिका मकान को सौल के माफ इडिया एवं स्टेट बैंक से गवालेकर कराया!	NIL	

श्री प्रमल

जहां लागू न हो कार दीजिए।
... ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के अनुसार में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
... इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवण) नियम, 1957 के नियम-18(3) के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अविवाहिक पार या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति का विवरण दे।

हस्ताक्षर **W. Pathi**
नाम **विष्णु कुमार जाधव**
पद **सहायक जेड-1**
विभाग **संसदीय कार्य विभाग**

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **हल्कू सिंह पन्डे** 2. वर्तमान धारित पद **सहायक गैडन**
 3. वर्तमान वेतन **43300** अगली वेतनवृद्धि की तारीख **01-01-2018**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
भोपाल	सकान	-	15 लाख लगभग	स्वयं के नाम पर	कृय दिनांक 63-2007 जैड से प्राप्त लेकर तथा सा. भं. नि. 001 शशि. स. जी. महेन्द्रा कुमार ने मा. सं. ला. क्रमा. क्रि. प.		

12/2/18

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम-18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पर्याप्त यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर **HSP**
 नाम **हल्कू सिंह पन्डे**
 पद **सहायक गैडन**
 विभाग **संसदीय कार्य विभाग**

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है: **धर्मचन्द्र पटेल** 2. वर्तमान धारित पद: **सहायक डी०-1**
 3. वर्तमान वेतन: **43,300/-** अगली वर्तमान वेतन वृद्धि की तारीख: **जुलाई, 2018**

इस जिले, उप विभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
भोपाळ	LIG-417 विद्या नगर दोआबाबा काई रोड भोपाळ	-	1.60 काठ	श्रीमती विमला पटेल पत्नी	सेन्ट मैरि ई-3 इर नगर माहेर भोपाळ से मठा यात कर		
		(काठ 9 109, 958 वर्ग फिट आर ला०५१ वर्ग जे०६७ जि०७ भोपाळ	5,50,000/-	धर्मचन्द्र पटेल (पत्नी)	एच. आई. सी. दाउ सिंहा फाईनेन्स सिमि-अरेश आ फिक भोपाळ से मठा यात कर		

— ०० —

* जहां स्थान न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के अनुसार में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्पत्तित हैं।
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवण) नियम, 1959 के नियम-18(2) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार गृह माली की अधिपति पर चालू यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अविवाहिक भाई या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर तसकिले धारित सम्पत्ति अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर: **DePates**
 नाम: **धर्मचन्द्र पटेल**
 पद: **सहा. डी०-1**
 विभाग: **म. प्र. आरंभ संसदीय कार्य विभाग**
विन्धमाचल भवन, द्वितीय नका भोपाळ


78

मध्य प्रदेश शासन
आज 5 फरवरी 459
दिनांक 25/01/18
संसादीय कार्य विभाग

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो ज्ञानक सिंह पाल संसादीय कार्य वि. 2. वर्तमान धारित पद सहायक ग्रेड - I3. वर्तमान वेतन 37300=00 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-1-2019

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
मौपाल ग्राम पिपलिया कुवतनगढ़	-	भूमि 4 एकड़	2500000/- लगभग	स्वयं	पट्टा	-	

जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सम्बंध में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार फार्म की अवधि के प्रस्ताव यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और तबमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अधीन भाग पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

शाकेतियों - 757 - अमरसिंह - 18-1-13-20,000.

हस्ताक्षर ज्ञानक सिंह पालनाम ज्ञानक सिंह पालपद सहायक ग्रेड - Iविभाग संसादीय कार्य विभाग

25/1/18

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017-

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

सहायक मरावी

2. वर्तमान धारित पद

सहायक ग्रेड-1

3. वर्तमान वेतन

37,300

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

1/1/2018

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				निर्दिष्ट			

जहां लागू न हो काट दीजिए।

* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम-18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने-आप पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

शाकेपत्रां—767—अगसाप्रचि—18-1-13—20.000.

हस्ताक्षर

नाम

पद

विभाग

25/1/18
सहायक मरावी
सहायक ग्रेड-1
संसदीय कार्य विभाग

7080

मध्य प्रदेश शासन
आवक क्रमांक 367
दिनांक 19/01/18
संसदीय कार्य विभाग

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो नामदेव डिगारसे सं. का. वि. 2. वर्तमान धारित पद सहायक ग्रेड 2
3. वर्तमान वेतन 34100/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2017

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	रे. सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
मोर्णा	LF-21, 48 टाकसिंग बोर्ड मोर्णा नगर मोर्णा		6,20,000	स्वयं के नाम	दिनांक 26-7-2000		

फार्म
19-1-18

जहां लागू न हो काट दीजिए।
ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम-18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।


हस्ताक्षर नामदेव डिगारसे
नाम नामदेव डिगारसे
पद सहायक ग्रेड 2
विभाग संसदीय कार्य विभाग

मध्य प्रदेश शासन
आठ व नवंबर 2397
दिनांक 12/4/18
संसदीय कार्य विभाग

घात

प्रथम नियुक्ति के समय अर्थात् सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है रवि कुमार शुर्वे 2. वर्तमान धारित पद सहायक मैड-2
3. वर्तमान वेतन 33100/- अगली वृत्तवृद्धि की तारीख 01-07-2019

इस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		* वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
MIG-28 जमिंदार परिवार लालिता बाबा डोलार रोड भोपाल	गृह	7.56 वर्ग फीट	20:00 लाख	स्वयं के नाम पर	बैंक से बोनस	निल	

(Handwritten signature)

जहां शाब्दिक हो काट दीजिए।
 * ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, कहां वर्तमान स्थिति के अनुसार ये लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम-18(2) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार वह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उनके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अर्जन द्वारा प्राप्त या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर नसके द्वारा धारित सम्पत्ति का विवरण दें।

हस्ताक्षर Ravindra Kumar Shurva
 नाम रवि कुमार शुर्वे
 पद सहायक मैड-2
 विभाग संसदीय कार्य विभाग

मध्य प्रदेश शासन
आव-ए क्रमांक: 2398
दिनांक: 10/11/18
संसदीय कार्य विभाग

चार्ज

प्रथम नियुक्ति के समय अथवा सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है: **अमिती श्रीनाथी राव सेन** 2. वर्तमान धारित पद: **सहायक हेड-2**
3. वर्तमान वेतन: अगली वेतनवृद्धि की तारीख: **जनवरी-2018**



इस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा व्योरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्योरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभिय
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ग्राम- अरवणिया करींद भोपाल	--	भूखण्ड	1, 50,000	--	13.2.2013 (खरीद) विंय श्री अचय एवं विभाग टाय गजवा शरि श्री पुष्पावसिंह गौर ग्राम- लाम्बाखेग गदसीव: डुमूर जिला- भोपाल		

श्री. राव
N

जहां नाम न हो काट दीजिए।
इसी मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के अनुसार में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवण) नियम, 1959 के नियम-18(2) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महामे की अनुमति के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा इसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपभ्रंश पर या उसके परिवार के किराी सदस्य के नाम पर या किराी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्त अथवा सम्पत्ति के व्योरे दें।

हस्ताक्षर: **Mansingh**
नाम: **अमिती श्रीनाथी राव सेन**
पद: **सहायक हेड-2**
विभाग: **संसदीय कार्य विभाग**

83

मध्य प्रदेश शासन
आवक क्रमांक 2399
दिनांक 10/4/18
संवर्धन एवं विकास विभाग

नाम

प्रथम नियुक्ति के समय आचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

पुण्डरीक

2. वर्तमान धारित पद 2181200 2/3-2

3. वर्तमान वेतन 32100/-

आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 1 जनवरी 2018

आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 1 जनवरी 2018

1 जनवरी 2018

इस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<p>कोई सम्पत्ति नहीं है</p>							



Handwritten signature/initials on the left side of the page.

Handwritten signature of the officer, Pundarik.

जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
इस मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के अनुसार में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवण) नियम, 1959 के नियम-18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार गृह माली की अपेक्षित प्रस्ताव यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उनके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अधिभोग पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर जर्जिन द्वारा धारित समस्त जगह सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर
नाम पुण्डरीक
पद 2181200 2/3-2
विभाग संवर्धन एवं विकास विभाग

84

पत्राई

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूर) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है राजू मुंजेवार
2. वर्तमान धारित पद सहायक ग्रेड-3
3. वर्तमान वेतन 28,600/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2018

इस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		* वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	सम्पत्ति से वार्षिक आय	आंशयुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				निल			

राजू मुंजेवार

जहां लागू न हो काट दीजिए।
** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवण) नियम, 1959 के नियम-18(2) के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार वह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और इसमें वह उनके स्वामित्व की तथा इसके द्वारा अर्जित-अर्जित उसे विरासत में मिली या उसके अपत्य-व्याज पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर राजू मुंजेवार
नाम राजू मुंजेवार
पद सहायक ग्रेड-3
विभाग संसदीय कार्य विभाग

85

मध्य प्रदेश शासन
आवक संख्या 366
दिनांक 19/07/18
संसदीय कार्य विभाग

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

देवेन्द्र सिंह दीवान

2. वर्तमान धारित पद सहायक 3

3. वर्तमान वेतन 21800/-

अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01/07/2018

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा व्यौरा		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			11	निरंक	11		



19/7/18

जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम-18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परचात यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने-आप पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित संमस्त अचल सम्पत्ति के व्यौरा दें।

शाकेतु-767-अससाप्रवि-18-1-13-20.000.

हस्ताक्षर

नाम देवेन्द्र सिंह दीवान

पद सहायक III

विभाग संसदीय कार्य विभाग

86

मध्य प्रदेश शासन
आवक क्रमांक 1052
दिनांक 12/02/18
संसदीय कार्य विभाग

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

पी. शोबिन

2. वर्तमान धारित पद

सहायक ग्रेड-3

3. वर्तमान वेतन

23300

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

1/7/18

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
—	—	—	—	निरंक	—	—



शोबिन
12/2/18

* यहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम-18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने-आप पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित संयुक्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

शाकेतपो-767-अमसाप्रवि-18-1-13-20.000.

हस्ताक्षर

शोबिन

नाम

पी. शोबिन

पद

सहायक ग्रेड-3

विभाग

संसदीय कार्य विभाग

87

मध्य प्रदेश शासन
आठ नं० 470.....
दिनांक 27/01/18.....
संस्कृत कार्य विभाग



फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो अंजली ठाकुर 2. वर्तमान धारित पद सहायक सेट-3
 3. वर्तमान वेतन 19500 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-1-2019

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				निरंक			

27/1/18

जहां लागू न हो काट दीजिए।

ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण)-नियम, 1959 के नियम-18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित-अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने-आप पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

शाकेमधो-267-अमसाप्रवि-18-1-13-20.000.

हस्ताक्षर

नाम

अंजली ठाकुर

पद

सहायक सेट-3

विभाग

संस्कृत कार्य विभाग

88

मध्य प्रदेश शासन
आवक क्रमांक 1039
दिनांक 13/02/18
संसदीय कार्य विभाग

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो महेन्द्र सिंह नेतान 2. वर्तमान धारित पद वाहन चालक3. वर्तमान वेतन 5680 + 1900 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1/7/2018

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Nil	"	"	Nil	"	Nil	

12-2-18

जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम-18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अविवाह पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित संयुक्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर
नाम महेन्द्र सिंह नेतान
पद वाहन चालक
विभाग संसदीय कार्य विभाग